

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3513
सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक)

आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी

3513. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2014 से आंध्र प्रदेश (ए.पी.) की बेरोजगारी दर और कार्यबल की भागीदारी दर का जिला-वार, वर्ष-वार, आयु-समूह-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) 2014 से आंध्र प्रदेश में सृजित नई नौकरियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) ए.पी. से प्रवासी श्रमिकों की वर्तमान संख्या के सरकार के अनुमान का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) ए.पी. में काम कर रहे प्रवासी कामगारों की वर्तमान संख्या के सरकारी अनुमान का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जाते हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) एवं श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), अनुबंध- I पर दी गई है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) संगठित क्षेत्र के लिए प्रत्येक माह आधार समर्थित सार्वभौमिक लेखा संख्या (यूएएन) के आधार पर पे-रोल डेटा प्रकाशित करता है। 2017-18 से आंध्र प्रदेश के संबंध में निवल पे-रोल डेटा का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 09.12.21 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 3045 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.08 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, 2019-20 के दौरान आंध्र प्रदेश में 10090.71 करोड़ रु. के ऋणों का संवितरण किया गया।

स्किल इंडिया मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) आंध्र प्रदेश राज्य सहित भारत भर में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी फ्लैगशीप योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक हैं, नामतः अल्प कालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल)। पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) और पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-21) के तहत, आंध्र प्रदेश में क्रमशः 90,851 और 716 अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया था।

(ग) एवं (घ) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आदिनांक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 32,571 अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार हैं जो अपने गृह राज्य-आंध्र प्रदेश में लौट आए हैं।

महामारी के दौरान, सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले कामगारों के कौशल मैपिंग अभ्यास का संचालन करने के लिए स्वदेश (रोजगार सहायता हेतु प्रशिक्षण कामगारों के आने का आंकड़ा स्रोत) की शुरुआत की, जिसमें विदेशों से कुल 32945 प्रवासी कामगार आंध्र प्रदेश वापस आए।

लोक सभा के दिनांक 20.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3513 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के आधार पर बेरोजगारी दर (यूआर) और श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का विवरण।

(%) में

आयु-समूह	15 वर्ष एवं उससे अधिक		15-29 वर्ष		सभी आयु वर्ग	
वर्ष	यूआर	एलएफपीआर	यूआर	एलएफपीआर	यूआर	एलएफपीआर
2017-18	4.5	59.9	16.1	48.8	4.5	47.1
2018-19	5.3	57.8	18.9	45.0	5.3	45.4
2019-20	4.7	58.2	17.1	47.4	4.7	46.3

लोक सभा के दिनांक 20.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3513 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश का निवल पे-रोल डेटा (ईपीएफओ)

वर्ष/माह	निवल पे-रोल
2017-18 (सितम्बर-17 से)	54286
2018-19	151024
2019-20	162166
2020-21	187986

स्रोत: पे-रोल आंकडा, ईपीएफओ, वेतन माह अक्टूबर 2021